

27.11.19

पक्षकारान के अधिवक्तागण इपास्थित ।
मूल निगरानी प्रार्थना पत्र निर्णित हो चुका
है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य
नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली
पेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
व दाखिल दफ्तर है।

↓
जिला कलेक्टर
बाडमेर

